

कार्यालय – मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर प्रथम

क्रमांक :- प्र.शा./2023/1491


दिनांक :- 01.07.2023

—:: आदेश ::—

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1451 दिनांक 17.06.2023 के द्वारा माह जुलाई, 2023 में दिनांक 02.07.2023 एवं 16.07.2023 को राजकीय अवकाशों के दिन जयपुर महानगर प्रथम न्यायक्षेत्र में पुलिस उपायुक्त पूर्व व दक्षिण की सीमा में पुलिस अभिरक्षा में अन्वेषणाधीन बन्दी, केन्द्रीय कारागृह, जयपुर महानगर में विचाराधीन/सजायाफता बन्दी अथवा अन्य ऐसे व्यक्ति जिनकी मृत्यु की जांच विधिक रूप से न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाना आवश्यक हो, उनकी अप्राकृतिक/संदिग्ध मृत्यु होने की स्थिति में धारा 176 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत जांच एवं मृत्युकालीन समीक्षा सम्बन्धी कार्य करने तथा जयपुर महानगर-प्रथम न्यायक्षेत्र की परिसीमा में स्थित किसी अस्पताल में उपचाररत आहतगण के संबंध में मृत्युकालिक कथन लेखबद्ध किये जाने हेतु क्रमशः न्यायालय महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम-6 एवं विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) क्रम-13, जयपुर महानगर प्रथम के पीठासीन अधिकारीगण को अधिकृत किया गया था।

प्रशासनिक कारणवश, उक्त आदेश को इस आदेश की सीमा तक अतिलंघित करते हुए दिनांक 02.07.2023 एवं 16.07.2023 को धारा 176 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत जांच एवं मृत्युकालीन समीक्षा संबंधी कार्य करने तथा मृत्युकालिक कथन लेखबद्ध करने हेतु निम्न न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण को अधिकृत किया जाता है:-

क्र0सं0.	अवकाश की दिनांक	नाम न्यायालय	पीठासीन अधिकारी (सुश्री/श्रीमती/श्री) का नाम व मोबाईल नंबर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	02.07.2023	विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन. आई एक्ट केसेज), क्रम-13 जयपुर महानगर प्रथम	हेमन्त मेहरा, आर.जे.एस. मो0 नं0 81077-18547
2.	16.07.2023	महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम-06 जयपुर महानगर प्रथम	सिद्धान्त शर्मा, आर.जे.एस. मो0 नं0 95991-38170


मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट,
जयपुर महानगर प्रथम।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है:-

क्रमांक :- 1492 to 1500

दिनांक :- 01/07/2023

- माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर प्रथम को प्रतिलिपि प्रेषित कर निवेदन है कि यदि सम्बन्धित अधिकारी की उक्त अवकाश की मुख्यालय अनुमति स्वीकृत की गई हो तो कृपया उसे निरस्त करने की कृपा करें।
- महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-6 एवं विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) क्रम-13, जयपुर महानगर प्रथम।
- सहायक निदेशक, अभियोजन, प्रथम, जयपुर महानगर।
- दी बार ऐसोसियेशन, बनीपार्क, जयपुर।
- अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जयपुर।
- आदेश पत्रावली/कार्यालय प्रति।
- सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर प्रथम को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश से सम्बन्धित अधिकारीगण/कर्मचारीगण/पुलिस विभाग के अधिकारीगण/समस्त आरक्षी केन्द्र, जयपुर महानगर प्रथम आदि सभी को ई-मेल/मैसेज के द्वारा ड्यूटी के सम्बन्ध में सूचित कर इस कार्यालय को सूचित करें।
- वरिष्ठ लिपिक, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर प्रथम।
- पुलिस कण्ट्रोल रूम, जयपुर महानगर को प्रतिलिपि भेज कर लेख है कि समस्त आरक्षी केन्द्रों को सूचित किया जावे।


मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट,
जयपुर महानगर प्रथम।